संख्या-187/2017/3565/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.3

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 दिसम्बर 2017

विषयः-शैक्षिक सत्र-2017-18 में प्रदेश व प्रदेश के बाहर दशमोत्तर कक्षाओ (कक्षा 11 व 12 को छोड़कर) ग्रुप-1,2,3 व 4 के अन्तर्गत संशोधित समय-सारिणी जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-4845/स.क./शिक्षा-अ/3/6/2017-18 दिनांक-26.12.2017 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-65/2017/1017/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-27.04.2017 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2017-18 हेतु निर्गत की गयी समय-सारिणी में संशोधन करते हुये दशमोत्तर कक्षाओं ग्रुप-1,2,3 व 4 (कक्षा-11 व 12 को छोड़कर) में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं हेतु निम्नवत् संशोधित समय-सारिणी निर्गत की जाती हैः-

क्र0 सं0	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की पूर्व समयावधि कक्षा 11-12 को छोडकर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु	कार्यवाही की वर्तमान समयावधि कक्षा 11-12 को छोडकर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
1	2	3	4	5
1	स्तर-4	छात्रों द्वारा फाइनल प्रिन्ट निकालना, आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा शिक्षण संस्थान में वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना	28 नवम्बर 2017 तक	28 दिसम्बर से 03 जनवरी 2018 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	स्तर-4	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन प्राप्त, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	20 दिसम्बर से 26 दिसम्बर 2017 तक	29 दिसम्बर से 06 जनवरी 2018 तक
3	स्तर-5	छात्र द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा आनलाइन छात्र के सम्मुख अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना।	15 नवम्बर से 15 जनवरी 2018 तक	15 नवम्बर से 15 जनवरी 2018 तक
4	स्तर-6	सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य अफलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी द्वारा वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को आनलाईन सत्यापित करना।	29 दिसम्बर 2017 तक	09 जनवरी 2018 तक
5	स्तर-7	एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना। PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना।	06 दिसम्बर 2017 से 10 जनवरी 2018 तक।	10 जनवरी 2018 से 24 जनवरी 2018 तक।
6	स्तर-8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं छात्रों को छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	15 जनवरी, 2018 तक।	30 जनवरी, 2018 तक।
7	स्तर-8	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना।	03 फरवरी 2018 तक	15 फरवरी 2018 तक।
8	स्तर-9	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना। ।	11 जनवरी से 18 जनवरी2018 तक	25 जनवरी से 02 फरवरी 2018 तक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9	स्तर-10	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 20 जनवरी 2018 तक	आवेदन पत्र भरने के 02 दिन के अन्दर, विलम्बतम 05 फरवरी 2018 तक।
10	स्तर-10	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	11 जनवरी से 22 जनवरी 2018 तक	25 जनवरी से 05 फरवरी 2018 तक
11	स्तर-11	संस्था द्वारा अग्रसारित एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	23 जनवरी 2018 से 01 फरवरी 2018 तक	06 फरवरी 2018 से 16 फरवरी 2018 तक
12	स्तर-12	सन्देहास्पद डाटा एवं छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा से अलग शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना।	05 फरवरी 2018 तक।	22 फरवरी 2018 तक।
13	स्तर-12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लाक किया जाना	24 फरवरी 2018 तक।	05 मार्च 2018 तक।
14	स्तर-13	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधारपर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना	05 मार्च 2018 तक।	12 मार्च 2018 तक।
15	स्तर-14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना	10 मार्च 2018 तक।	22 मार्च 2018 तक।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- शासनादेशसंख्या-65/2017/1017/26-3-2017-4(358)/07टी.सी.।।।,दिनांक-27.04.2017 द्वारा निर्गत समय-सारिणी के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2017-18 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज सिंह

प्रमुख सचिव

पृ0सं0-187 /2017/3565(1)/26-3-2017 तद्दिनंकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वित्त, नियोजन, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7- कुल सचिव, अब्दुल कलाम, तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई योजना भवन, लखनऊ।

10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in